drishti

GENERAL STUDIES (Test–10)

निर्धारित समयः तीन घंटे *Time allowed: Three Hours*	DTVF/22 (J-A)–M–**GSM (M-I)-2210**	*अधिकतम अंकः 250* *Maximum Marks: 250*

Name: BAJRANG PRASAD **Mobile Number:**

Medium (English/Hindi): **Reg. Number:**

Center & Date: **UPSC Roll No.** ***(If allotted)*:**

प्रश्न-पत्र के लिये विशिष्ट अनुदेश

कृपया प्रश्नों का उत्तर देने से पूर्व निम्नलिखित प्रत्येक अनुदेश को ध्यानपूर्वक पढ़ें:

इसमें बीस प्रश्न हैं तथा हिन्दी और अंग्रेज़ी दोनों में छपे हैं।

सभी प्रश्न अनिवार्य हैं।

प्रत्येक प्रश्न के अंक उसके सामने दिये गए हैं।

प्रश्नों के उत्तर उसी माध्यम में लिखे जाने चाहियें जिसका उल्लेख आपके प्रवेश-पत्र में किया गया है, और इस माध्यम का स्पष्ट उल्लेख प्रश्न-सह-उत्तर (क्यू.सी.ए.) पुस्तिका के मुख-पृष्ठ पर अंकित निर्दिष्ट स्थान पर किया जाना चाहिये। उल्लिखित माध्यम के अतिरिक्त अन्य किसी माध्यम में लिखे गए उत्तर पर कोई अंक नहीं मिलेंगे।

प्रश्नों में शब्द सीमा, जहाँ विनिर्दिष्ट है, का अनुसरण किया जाना चाहिये।

प्रश्न-सह-उत्तर-पुस्तिका में खाली छोड़ा हुआ पृष्ठ या उसके अंश को स्पष्ट रूप से काटा जाना चाहिये।

QUESTION PAPER SPECIFIC INSTRUCTIONS

Please read each of the following instruction carefully before attempting questions:

*There are **TWENTY** questions printed both in **HINDI** and **ENGLISH**.*

All the questions are compulsory.

The number of marks carried by a question is indicated against it.

Answers must be written in the medium authorized in the Admission Certificate which must be stated clearly on the cover of this Question-cum-Answer (QCA) Booklet in the space provided. No marks will be given for answers written in a medium other than the authorized one.

Word limit in questions, wherever specified, should be adhered to.

Any page or portion of the page left blank in the Question-cum-Answer Booklet must be clearly struck off.

केवल मूल्यांकनकर्त्ता द्वारा भरा जाए ***(To be filled by Evaluator only)***

Question Number	Marks	Question Number	Marks
1.		11.	
2.		12.	
3.		13.	
4.		14.	
5.		15.	
6.		16.	
7.		17.	
8.		18.	
9.		19.	
10.		20.	
Grand Total (सकल योग)			

मूल्यांकनकर्त्ता (हस्ताक्षर)
Evaluator (Signature)

पुनरीक्षणकर्त्ता (हस्ताक्षर)
Reviewer (Signature)

Feedback

1. Context Proficiency (संदर्भ दक्षता)
2. Introduction Proficiency (परिचय दक्षता)
3. Content Proficiency (विषय-वस्तु दक्षता)
4. Language/Flow (भाषा/प्रवाह)
5. Conclusion Proficiency (निष्कर्ष दक्षता)
6. Presentation Proficiency (प्रस्तुति दक्षता)

www.drishtiias.com
Contact: 8750187501, 8448485517
Copyright – Drishti The Vision Foundation

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये।
(Candidate must not write on this margin)

1. विधियाँ परिवर्तन की शक्तिशाली साधन सिद्ध हो सकती हैं। लेकिन जल्दबाजी में निर्मित विधियाँ मंशा अनुरूप कार्य नहीं करतीं और नेक मंशा से बनी विधियाँ अप्रभावी रही हैं। इस संबंध में संसद की प्रभावहीनता के कारण विधि निर्माण में व्याप्त कमियों की चर्चा कीजिये एवं सुदृढ़ विधि निर्माण प्रक्रिया के लिये उपाय सुझाइये। (150 शब्द) 10

Laws can be powerful instruments of change. But badly made ones do not work as intended and well-intentioned ones are ineffective. In this regard, discuss lacunae gripping the law-making due to ineffectiveness of Parliament and suggest measures for robust law-making process. (150 words) 10

16 वीं लोकसभा में मात्र 24% विधेयकों को ही संसदीय समिति के पास स्थानान्तरित किया गया जो विधि निर्माण में चर्चा - विमर्श में कमी है घटती गुणवत्ता को दिखाता है।

संसद की प्रभावहीनता के कारण विधि निर्माण में कमियाँ -

① चर्चा में कमी - सामान्यत: संसद में सदस्यों के व्यवधान के कारण चर्चा में कमी.

② संसद सत्र के नियमितता में कमी - लगातार संसद सत्रों में समयावधि में कमी आ रही है। कोविड में सत्र ही आयोजित नहीं हुआ। जिसका प्रभाव विधियों की गुणवत्ता पर पड़ता है

www.drishtiias.com
Contact: 8750187501, 8448485517
Copyright – Drishti The Vision Foundation

3) पूर्ण बहुमत की सरकारों में विपक्ष के प्रति नकारात्मक पूर्वाग्रह - जिससे कम सुझावों की स्वीकृति

4) संसदीय समितियों को कम हस्तांतरित (27%, 16th L.S) एवं हितधारकों को चर्चा में शामिल एवं सुझाव न लेना।

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये।
(Candidate must not write on this margin)

सुदृढ़ विधि निर्माण प्रक्रिया के उपाय -

→ हितधारकों को शामिल किया जाये; हालिया कृषि कानून की असफलता इसी को दिखाती है।

→ संयुक्त समितियों द्वारा विधिवत चर्चा

→ राज्यसभा में विशिष्ट लोगों का मनोनयन (जैसे- पूर्व CJI रंजन गोगोई)
⇓
गुणवत्ता बढ़ेगी

→ चर्चा हेतु समयावधि अलग से बढ़ाई जाये।

→ विशेषज्ञों को शामिल किया जाये।

समावेशी विधि निर्माण भारत के संसदीय लोकतंत्र अधिक जवाबदेह बनाती है।

www.drishtiias.com
Contact: 8750187501, 8448485517
Copyright – Drishti The Vision Foundation

2. न्यायाधीशों की नियुक्ति की प्रक्रिया एक स्वतंत्र न्यायपालिका के लिये अत्यंत महत्त्वपूर्ण है। इस संबंध में कॉलेजियम प्रणाली का समालोचनात्मक विश्लेषण कीजिये। (150 शब्द) 10

The process for the appointment of judges lies at the heart of an independent judiciary. In this regard critically analyze the collegium system. (150 words) 10

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये।
(Candidate must not write on this margin)

भारत में न्यायाधीशों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। हालांकि यह राष्ट्रपति के विवेक पर नहीं बल्कि 'कॉलेजियम' की अनुशंसा पर होती है।

कॉलेजियम प्रणाली - यह सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश (CJI) एवं अन्य चार वरिष्ठतम न्यायाधीशों का एक समूह है जो न्यायिक नियुक्तियों (हाईकोर्ट & सुप्रीम कोर्ट) हेतु राष्ट्रपति को अनुशंसा करता है।

कॉलेजियम प्रणाली का लाभ
- → सरकार का हस्तक्षेप नहीं
- शक्ति का पृथक्करण (अनु- 50)
- → 'न्यायिक स्वतंत्रता' सुनिश्चित (मूलढांचा का भाग है)

www.drishtiias.com
Contact: 8750187501, 8448485517
Copyright – Drishti The Vision Foundation

drishti | दृष्टि The Vision

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये। (Candidate must not write on this margin)

कॉलेजियम प्रणाली की आलोचना -

① संविधान में उल्लेख नहीं - इसका संविधान में जिक्र नहीं और यह द्वितीय जजवाद (1993) एवं तृतीय जजवाद (1998) में अस्तित्व में आई।

② स्वयं जजों द्वारा स्वयं की नियुक्ति => यह अपारदर्शिता को बढ़ावा देता है

⇓

जजों में अधिकांशतः एक ही परिवार के आते हैं।

③ - कॉलेजियम द्वारा न सुझाये गए नामों का कारण नहीं बताया जाता है।

4). लोकतांत्रिक व्यवस्था के अनुकूल नहीं - जहाँ सभी मशीनरी जनता के प्रति जवाबदेह हैं।

[illegible] पूर्व CJI दीपक मिश्रा ने कॉलेजियम प्रणाली को लेकर सुधार की जरूरत बताई थी।

www.drishtiias.com
Contact: 8750187501, 8448485517
Copyright – Drishti The Vision Foundation

drishti | दृष्टि The Vision

3. एक सुदृढ़ और स्वतंत्र रूप से संचालित नागरिक समाज की उपस्थिति सफल और स्थिर लोकतंत्र की पहचान है। इस संबंध में नए भारत के निर्माण में नागरिक समाज की भूमिका का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिये। (150 शब्द) 10

The presence of a strong and freely operating civil society is the hallmark of successful and stable democracies. In this regard critically examine the role of Civil society in making of new India. (150 words) 10

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये। (Candidate must not write on this margin)

सरकार एवं नागरिकों के बीच स्थापित विभिन्न गैर-सरकारी / [illegible] संगठन नागरिक समाज की रचना करते हैं।

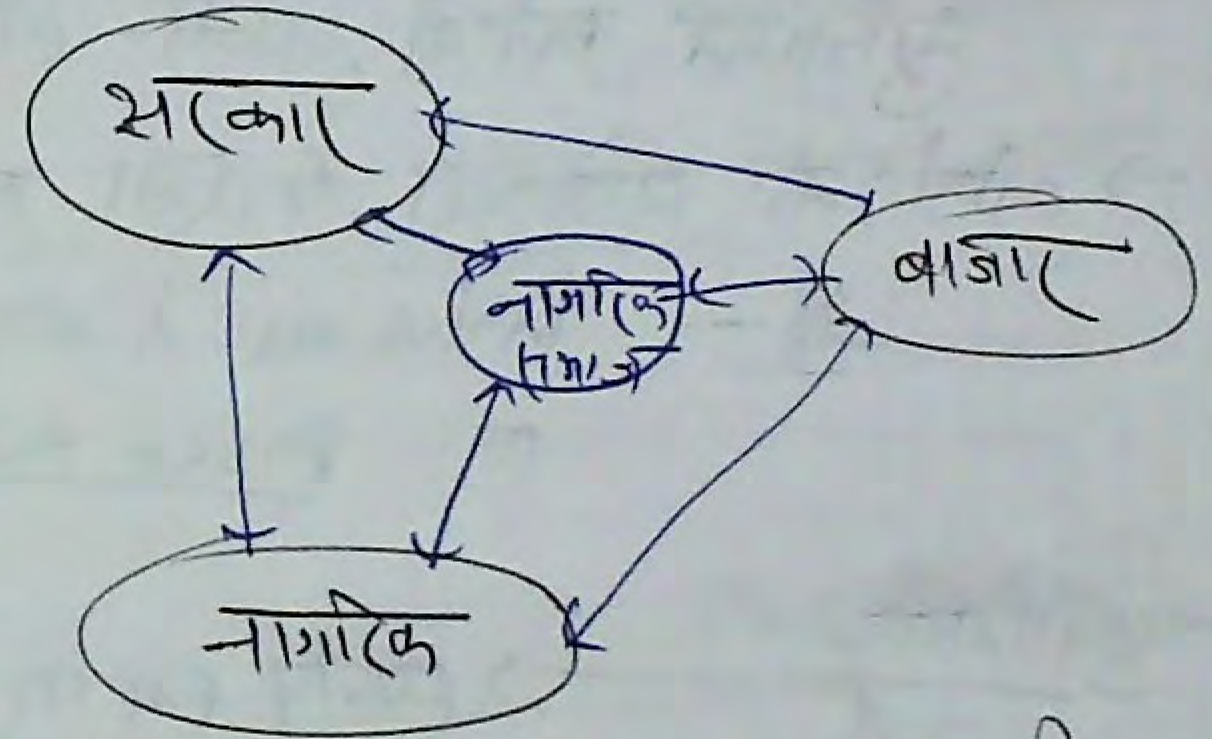

नव भारत के निर्माण में नागरिक समाज की भूमिका -

→ सेवाओं के अधिक गुणवत्तापूर्ण एवं प्रभावी वितरण में जैसे- PDS, आयुष्मान भारत आदि।

→ सरकार के नीति निर्माण हेतु जरूरी आंकड़ा उपलब्ध कराना, जैसे- ASER (NGO's)

www.drishtiias.com
Contact: 8750187501, 8448485517
Copyright – Drishti The Vision Foundation

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये। (Candidate must not write on this margin)

→ डिजिटल डिवाइड कम करने में

→ कौशल प्रशिक्षण एवं तकनीकी जागरूकता में

→ स्वयं सहायता समूहों द्वारा महिला सशक्तिकरण

→ भ्रष्टाचार को उजागर करने एवं सुशासन सुनिश्चित करने में, जैसे- लोकपाल हेतु आंदोलन

→ लोगों के अधिकारों की रक्षा करने में
जैसे— 'निर्भया कांड' के बाद आंदोलन एवं POSCO Act

चुनौतियाँ

→ स्थानीय स्तर पर संगठन अभाव

→ बाह्य MNC द्वारा प्रेरित जैसे- विकासविरोधी NGO

→ स्वतंत्रता के विरुद्ध 124A (राजद्रोह का) दुरुपयोग, जैसे- मीडिया में पत्रकार गिरफ्तारी

→ सरकार द्वारा अभिव्यक्ति पर बढ़ता विनियमन

नागरिक समाज लोकतंत्र में सरकार के पूरक होते हैं।

Copyright – Drishti The Vision Foundation

4. भारत की G20 अध्यक्षता की सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि भारत कितनी कुशलता से G20 में मौजूद अंतर को समाप्त करने के लिये रास्ते एवं साधन खोज सकता है और इसे साझा हित के मंच में रूपांतरित कर सकता है। टिप्पणी कीजिये। (150 शब्द) 10

The success of India's G20 Presidency will depend on how deftly India can find paths and instruments to bridge the divides plaguing the G20 and turn it into a platform of shared interest. Comment. (150 words) 10

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये। (Candidate must not write on this margin)

दुनिया की शीर्ष 20 अर्थव्यवस्थाओं के समूह G-20 की अध्यक्षता भारत द्वारा वर्ष 2023 के लिए की जायेगी। यह अवसर भारत के लिए दुनिया को एक निर्णायक दिशा दिखाने वाला होगा।

वर्तमान वैश्विक परिदृश्य

बढ़ती मँहगाई
→ कोविड पश्चात् रिकवरी में बढ़ी माँग एवं वस्तुओं की कीमत बढ़ने से
◦ भारत, US, यूरोप सभी प्रभावित

रूस-यूक्रेन मुद्दे
◦ संप्रभुता को चुनौती
◦ रूस पर प्रतिबंध
तेल आपूर्ति में कमी
दुनिया में बढ़ती मँहगाई

कोविड पश्चात् विश्व व्यवस्था एवं अनेक देशों में राजनीतिक संकट
• आपूर्ति श्रृंखला व्यवधान
◦ म्यांमार, अफगानिस्तान, श्रीलंका, अफ्रीकी देशों में संकट

Copyright – Drishti The Vision Foundation

~~भारत के लिए आवश्यक प्रयास~~ -

भारत के रास्ते एवं समाधान -

① रूस-यूक्रेन युद्ध- दोनों पक्षों के लिए बातचीत से मामला सुलझाने के लिए प्रभावी भूमिका निभाना चाहिए। दोनों देश भारत से बेहतर संबंध एवं फायदा जुड़े हैं।

② बढ़ती मँहगाई & कच्चे तेल की कीमत - OPEC+ देशों के साथ मीटिंग एवं आपूर्ति बढ़ाने को लेकर दबाव बनाना, रूस पर प्रतिबंध को हटाने को लेकर 'कुशल रणनीति' का प्रयोग

③ आतंकवाद, जलवायुपरिवर्तन, डेटा स्थानीयकरण, कृषि आदि को लेकर नेतृत्वकारी भूमिका निभाना।

एक बार पुन: दुनिया के लिए भारत नेतृत्वकारी भूमिका निभा सकता है

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये।
(Candidate must not write on this margin)

Copyright – Drishti The Vision Foundation

5. डेटा संरक्षण कानून में राज्य की निगरानी शक्ति के साथ-साथ व्यक्तिगत गोपनीयता को स्पष्ट करना चाहिये। चर्चा कीजिये। (150 शब्द) 10

Data protection law should spell out individual privacy along with state surveillance power. Discuss. (150 words) 10

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये।
(Candidate must not write on this margin)

'पुट्टस्वामी वाद' में सर्वोच्च न्यायालय ने 'निजता के अधिकार' (अनु-21) को मूल अधिकार की संज्ञा दी है।

भारत में डेटा संरक्षण कानून की आवश्यकता

- नागरिकों के डेटा के दुरुपयोग को रोकना
- डेटा का वैधानिक उपयोग
- डेटा विनियमन को लेकर प्रभावी विधि निर्माण

बी.एन. श्रीकृष्ण आयोग ने निजी डेटा को लेकर एक समर्पित नीति की अनुशंसा की थी। जिसमें निम्न प्रावधान थे-

1. डेटा को उपभोक्ता से पूछकर ही उपयोग किया जाए,
2. साझा करने से पहले डेटाधारक से अनुमति जरूरी,
3. किसी हाल में डेटा तीसरे पक्ष से साझा नहीं।

www.drishtiias.com
Contact: 8750187501, 8448485517
Copyright – Drishti The Vision Foundation

हाल में गठित कृष्ण गोपालकृष्णन समिति ने डेटा के तीन प्रकार वर्गीकरण की बात कही है।

- सार्वजनिक डेटा / सरकारी डेटा
  - ◦ जनगणना
  - ◦ सर्वेक्षण
- निजी डेटा
  - ◦ विशिष्ट योजनाओं के लिए
  - ◦ व्यक्तिगत उपयोग
- सामुदायिक उपयोग डेटा
  - ◦ कोरोना प्रसार, बिमारी निगरानी हेतु

अतः डेटा के उपयोग में सरकार की महत्वपूर्ण है। उसे विधि के अलावा अन्य मामलों में डेटा उपयोग की अनुमति न हो। एवं डेटा का समानुपातिक प्रकटन किया जाना चाहिए।

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये।
(Candidate must not write on this margin)

www.drishtiias.com
Contact: 8750187501, 8448485517
Copyright – Drishti The Vision Foundation

6. दल-बदल विरोधी कानून गैर-सैद्धांतिक दल-बदल द्वारा लोकतंत्र के क्षरण के विरुद्ध सुरक्षा के लिये लाया गया था, हालाँकि यह अपने उद्देश्य को प्राप्त करने में विफल रहा है। समालोचनात्मक परीक्षण कीजिये। (150 शब्द) 10

Anti-defection law was brought to protect against the subversion of democracy by unprincipled defection, however, it has failed to achieve its objective. Critically Examine. (150 words) 10

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये।
(Candidate must not write on this margin)

1985 में 52 संविधान संशोधन द्वारा 'आया राम - गया राम' की प्रवृत्ति को रोकने एवं राजनीतिक रूप से स्थिर सरकार को बढ़ावा देने हेतु अनुसूची-X में 'दल-बदल विरोधी कानून' की व्यवस्था की गई।

दल-बदल रोधी कानून के प्रावधान एवं उद्देश्य -

→ किसी सदस्य द्वारा दल को स्वेच्छा से त्यागने, दल परिवर्तन करने, सार्वजनिक रूप से दल के विरुद्ध विश्वास जताने से उसकी सदस्यता चली जायेगी

अपवाद - पीठासीन अधिकारी नियुक्त होना
◦ 2/3 से अधिक सदस्यों द्वारा अन्य दल में शामिल होना

⇒ इसका उद्देश्य गैर-सिद्धांतिक दल बदल को रोकना था।

www.drishtiias.com
Contact: 8750187501, 8448485517
Copyright – Drishti The Vision Foundation

drishti | दृष्टि The Vision

उद्देश्य में विफलता के कारण

- सदस्यों द्वारा हार्स ट्रेडिंग आदि के कारण दलों का छोड़ना
- अध्यक्ष द्वारा निर्हता पर फैसला लेने की अवधि का अभाव
- अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता (19) एवं पूर्ण जन-जवाबदेहिता के अनुरूप बोलने पर रोक
- अब सदस्य इस्तीफा दे देते हैं जिससे विपक्ष द्वारा इससे बचने का तरीका ↓ अल्पमत में सरकार गिराना जैसे- मध्यप्रदेश मे

आज पुनः इस कानून में बदलाव को लाने का समय आ गया है जिससे ~~संसदी~~ संसदीय लोकतंत्र की मूलभावना को बचाया जा सके।

दल-बदल पर निर्णय किसी प्राधिकरण को देने की बात सुप्रीम कोर्ट ने कही है।

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये।
(Candidate must not write on this margin)

www.drishtiias.com
Contact: 8750187501, 8448485517
Copyright – Drishti The Vision Foundation

drishti | दृष्टि The Vision

7. स्वच्छ भारत अभियान का व्यापक स्तर और दायरा इसे विश्व के सबसे बड़े स्वच्छता अभियानों में से एक बनाता है। इस संबंध में स्वच्छ भारत मिशन की सफलता का समालोचनात्मक मूल्यांकन कीजिये। (150 शब्द) 10

The sheer scale and scope of the Swachh Bharat Abhiyan makes it one of the largest cleanliness drives in the world. In this regard, critically evaluate the success of Swachh Bharat mission. (150 words) 10

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये।
(Candidate must not write on this margin)

2014 में गाँधी जयन्ती के अवसर पर प्रधानमंत्री द्वारा स्वच्छ भारत मिशन का संकल्प भारत के स्वच्छता में क्रांतिकारी पड़ाव साबित हुआ।

स्वच्छ भारत मिशन की सफलता -

इसके दो घटक थे ~~थि~~

- स्वच्छ भारत मिशन - ग्रामीण
- स्वच्छ भारत मिशन शहरी

- 2019 तक लगभग 100% भारतीय ~~घरों को~~ गाँवों को खुले में शौच मुक्त (ODF) घोषित किया गया (लक्ष्य की प्राप्ति).
- शहरी क्षेत्रों में भी सामुदायिक शौचालय निर्माण एवं अपशिष्ट प्रबंधन में काफी प्रगति दिखी
- भारत में स्वच्छता के प्रति लोगों, NGO, सरकार

www.drishtiias.com
Contact: 8750187501, 8448485517
Copyright – Drishti The Vision Foundation

drishti | दृष्टि The Vision

का ज़रूरी प्रभावी किया।

एक दृढ़ राजनैतिक इच्छाशक्ति का प्रभाव दिखा।

- एक वर्ष में इससे लाखों कमाल मृत्यु को रोकने में मदद मिली।

SBM की चुनौतियाँ -

- ग्रामीण क्षेत्रों में बनने के बाद उपयोग नहीं
→ टंकी, जल की व्यवस्था न होने के कारण उपयोग नहीं
→ SBM(G)-2 के तहत ठोस अपशिष्ट प्रबंधन की प्रगति काफी धीमी।
→ शहरों में भी ठोस अपशिष्ट निपटान जनित प्रदूषण निवारण चुनौती

भारत में नागरिक समाज, नागरिकों & सरकारों के समन्वय का एक अनूठा मिसाल है।

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये।
(Candidate must not write on this margin)

www.drishtiias.com
Contact: 8750187501, 8448485517
Copyright – Drishti The Vision Foundation

drishti | दृष्टि The Vision

8. भारत-नेपाल ने 75 वर्ष पहले आधिकारिक राजनयिक संबंधों की शुरुआत के बाद से बहुआयामी और गहन संबंध साझा किये हैं। लेकिन इस संबंध में कई अंतर्विरोध भी देखने को मिले हैं। परीक्षण कीजिये। (150 शब्द) 10

India-Nepal has shared multidimensional and dense relations since the beginning of official diplomatic relations 75 years ago. Yet the relationship is marked by several contradictions. Examine. (150 words) 10

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये।
(Candidate must not write on this margin)

आजादी के तुरंत बाद भारत एवं नेपाल ने 1950 में 'शांति एवं मित्रता' की संधि हस्ताक्षरित किया।

भारत एवं नेपाल के बहुआयामी एवं गहन संबंध -

(1) रोटी-बेटी का रिश्ता - जो मैदानी जोन, सीमा पर आजीविका उपाय, विवाह संबंध भारत-नेपाल को ~~एक~~ काफी हद तक करीब लाते हैं।

(2) - सांस्कृतिक, धार्मिक एवं भाषायी संबद्धता - भारत एवं नेपाल प्राचीन दौर से इन्हें साझा करते हैं।

3- भारत नेपाल का प्रमुख व्यापारिक भागीदार है।

4. नेपाल का बाह्य आयात का 80% से अधिक हिस्सा कोलकाता बंदरगाह से संचालित

www.drishtiias.com
Contact: 8750187501, 8448485517
Copyright – Drishti The Vision Foundation

5- भारत द्वारा नेपाल में भारी विकासात्मक निवेश

6- प्रमुख भागीदारी वाले संस्थान – SAARC, BIMSTEC, BBIN; सैन्य सम्बन्ध – 'मित्र शक्ति'

चुनौतियाँ-

→ नेपाल में मौजूदा कम्युनिस्ट सरकार का चीन से झुकाव अधिक

↓

कालीनदी को लेकर विवादित नक्शा जारी (लिंपियाधुरा, लिपुलेख एवं कालापानी हिस्से को लेकर)

→ मधेशी बाध्य अवरोध का आरोप नेपाल भारत पर लगाता है।

→ नेपाली पुलिस द्वारा नो मैन्स लैंड जोन में मोतिहारी (बिहार) में 4 भारतीय की हत्या,

→ नो मैन्स लैंड में निर्माण कार्य

→ तस्करी, नकली नोट एवं अवैध मानव तस्करी।

भारत-नेपाल संबंध दक्षिण एशिया में रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण है।

www.drishtiias.com
Contact: 8750187501, 8448485517
Copyright – Drishti The Vision Foundation

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये। (Candidate must not write on this margin)

9. चीन अपने वैश्विक विस्तारवाद के एक भाग के रूप में दक्षिण एशिया में भारत के हितों को कमज़ोर कर रहा है। इस संदर्भ में चीन के प्रति-आधिपत्य और वृहत् क्षेत्रीय स्थिरता के लिये एक कदम के रूप में सार्क को पुनः सशक्त करने की आवश्यकता पर चर्चा कीजिये। (150 शब्द) 10

China as part of its global expansionism, is chipping away at India's interests in South Asia. In this regard discuss the need to reinvigorate SAARC as a step to counter-hegemonic China and for greater regional stability. (150 words) 10

दक्षिण एशिया के प्रमुख सदस्य के रूप में भारत हिंद महासागर में खुलापन, शांति, सुरक्षा एवं निकटवर्ती देशों में स्थिरता हेतु महत्वपूर्ण है।

-चीन भारत के उत्तरी सीमा के पड़ोसी के रूप में उसको घेरने की कोशिश कर रहा है।

चीन द्वारा दक्षिण-एशिया में भारतीय हितों को कमजोर करना

- चेकबुक कूटनीति द्वारा पड़ोसियों को निर्भर बनाना जैसे- PAK, श्रीलंका
- OPEC द्वारा तेल व्यापार में भारत की स्वयुक्तता को नुकसान
- चीन द्वारा पड़ोसी राष्ट्रों में भारी निवेश, विकास सहायता, बंदरगाहों पर नियंत्रण (हंबनटोटा-99 वर्ष) के द्वारा अपनी पहुँच बढ़ाना
- बेल्ट रोड इनिशिएटिव (BRI) के द्वारा IOR में भारत को घेरने का प्रयास (मोतियों की माला)

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये। (Candidate must not write on this margin)

www.drishtiias.com
Contact: 8750187501, 8448485517
Copyright – Drishti The Vision Foundation

भारत द्वारा सार्क का महत्व -

→ सार्क दक्षिण एशिया के उद्देश्यों को शामिल करता है। अफगानिस्तान एवं मालदीव भी शामिल

→ व्यापारिक संबंधों को बढ़ावा - (SAFTA) - चीन से मोलभाव बढ़ाया जा सकता है।

→ भारत एकजुटता चीन के प्रति प्रतिरोध को बनाएगी & दबाव बढ़ाएगी,

→ क्षेत्रीय राजनैतिक स्वतंत्रता का विस्तार

→ तालिबान द्वारा सम्प्रभुता की इच्छा, भारत तक बलूचिस्तान मार्ग से बढ़ने की लोन CPEC को लेकर भारतीय हित को प्रोत्साहित होगी

सार्क एक बार बदलते राजनैतिक परिदृश्य में महत्ता पा रहा है हालांकि बैठकों का नियमित न होना चिंता का विषय है

www.drishtiias.com
Contact: 8750187501, 8448485517
Copyright – Drishti The Vision Foundation

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये।
(Candidate must not write on this margin)

10. क्या आपको लगता है कि दूसरे राज्य पुनर्गठन आयोग (SRC) का समय आ गया है जो कई छोटे राज्यों के सृजन के साथ भारत के संघीय मानचित्र का पुनर्निर्माण कर सकता है? समालोचनात्मक परीक्षण कीजिये। (150 शब्द) 10

Do you think that the time has come for a second States Reorganization Commission (SRC) that can redraw India's federal map, creating many smaller states? Critically Examine. (150 words) 10

1956 में गठित राज्य पुनर्गठन आयोग ने नवस्वतंत्र भारत की तात्कालिक चुनौतियों को संबोधित करते हुए एक लिए भारत को बनाये रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

उस समय विभाजन के प्रमुख बिंदु भाषाई आधार का मुद्दा सुलझाया गया।

वर्तमान में इसके पुनर्गठन की आवश्यकता -

① राज्यों में जनसंख्या का बढ़ना एवं प्रशासन में चुनौती :- उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ आबादी इसे पाँचवे देश के रूप में व्यक्त करती है। तत्कालीन CM मायावती ने इसे चार राज्यों में बाँटने की इच्छा जताई थी।

② क्षेत्रीय माँग - पूर्वोत्तर भारत एवं दक्षिण के

www.drishtiias.com
Contact: 8750187501, 8448485517
Copyright – Drishti The Vision Foundation

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये।
(Candidate must not write on this margin)

कुछ भाग पृथक राज्य की मांग.

③ विषमता में वृद्धि - आज़ादी के बाद से राज्यों में तीव्र विषमता बढ़ी है।

• छोटे राज्य मुद्दों पर फोकस करने एवं कुशल प्रशासन को बढ़ाने में मददगार होंगे

चुनौतियाँ
- भारी वित्तीय बोझ
- क्षेत्रीयता बढ़ने से एकता एवं अखण्डता प्रभावित होगी
- ज्यादा राज्य सहकारी संघवाद को प्रभावित करेंगे
- वर्तमान स्थिति में इसके लिए शोध की जरूरत है

बेहतर आंकड़ों की उपलब्धता में ही यह अपरिहार्य है।

हालांकि अभी दूसरे राज्य पुनर्गठन आयोग की आवश्यकता तुरंत नहीं है।

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये। (Candidate must not write on this margin)

www.drishtiias.com
Contact: 8750187501, 8448485517
Copyright – Drishti The Vision Foundation

11. "सहकारी संस्थाएँ देश के विकास में एक महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं लेकिन शायद ही कभी नीति नियोजन के केंद्र बिंदु में होती हैं।" इस कथन के आलोक में सहकारी संस्थाओं के समक्ष विद्यमान विभिन्न समस्याओं और सहकारिता क्षेत्र के प्रबंधन के लिये एक नए केंद्रीय मंत्रालय के निर्माण के औचित्य पर चर्चा कीजिये। (250 शब्द) 15

"Cooperatives play a vital role in the country's development but are seldom the focus of policy planning". In light of this statement discuss the various issues faced by Cooperatives and the rationale for the creation of a new Union Ministry to oversee the cooperatives sector. (250 words) 15

गांधी जी के 'सहकारी संस्थाओं' के उद्देश्य को पूरा करने हेतु 2011 में 97 वें संविधान (संशोधन) अधिनियम के तहत 'सहकारी समितियों' के गठन का प्रावधान किया गया।

संवैधानिक स्थिति
- अनु. 19(1)(c) → संघ बनाने की स्वतंत्रता
- अनु. 43-B - सहकारी समिति स्थापना, नियंत्रण, प्रबंधन
- भाग-IXB - सहकारी समितियों की संरचना आदि

सहकारी समितियों की भूमिका
- समान हित के लोगों को जोड़ना
- ग्रामीण विकास को बढ़ावा जैसे- 'अमूल' सहकारी समिति
- जोखिम क्षमता को बढ़ाना, जीवन स्तर ऊपर उठाना जैसे- 'सहकारी ऋण समिति'

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये। (Candidate must not write on this margin)

www.drishtiias.com
Contact: 8750187501, 8448485517
Copyright – Drishti The Vision Foundation

drishti | दृष्टि The Vision

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये। (Candidate must not write on this margin)

सहकारी समितियों के समक्ष चुनौतियाँ –

① पेशेवर प्रबंधन क्षमता का अभाव – जिससे कुशल निर्णय निर्माण एवं संगठनात्मक दक्षता में कमी,

② पूंजी की कमी – जिससे सेवा विस्तार करने में असमर्थ एवं पूंजीगत निवेश में अपेक्षित तीव्रता व गति नहीं

③ नियमित चुनाव न होना – जिससे समितियों में राजनीतिक साठगांठ का आरोप लगता है।

④ गांवों में प्रभावी पहुंच नहीं – आमलोगों में जागरूकता की कमी से सहायता नहीं मिल पाती है।

सहकारिता मंत्रालय की आवश्यकता/लाभ –

→ केन्द्र व राज्यों के मध्य समन्वय

www.drishtiias.com
Contact: 8750187501, 8448485517
Copyright – Drishti The Vision Foundation

drishti | दृष्टि The Vision

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये। (Candidate must not write on this margin)

बढ़ाकर सहकारिता की नींव मजबूत करना

→ एक संस्थागत एवं प्रशासनिक ढांचा देश में अवसरों को पहचानने एवं बढ़ावा देने में सहायक होगा

जैसे – पूर्वोत्तर में O.F. टैग वाले उत्पादों को बढ़ावा ; केरल में मसाला ; U.P. के 'वन' जिला - वन उत्पाद आदि को बढ़ाने हेतु सहकारी समितियों को वित्त की उपलब्धता

→ सहकारी समितियों को प्रशासनिक, वित्तीय सहायता प्रदान करना ; उत्पादों हेतु बाजार उपलब्ध कराना।

आत्मनिर्भर भारत के साथ यह राष्ट्र में समावेशी विकास को बढ़ावा देगा।

~~कृषि, MSME में अधिकाधिक सहकारी~~ समितियाँ जाती हैं।

www.drishtiias.com
Contact: 8750187501, 8448485517
Copyright – Drishti The Vision Foundation

12. "पंचायत की आवाज लोगों की आवाज है" और 73वाँ संविधान संशोधन अधिनियम यह सुनिश्चित करने के लिये सही दिशा में बढ़ाया गया कदम था कि लोगों की आवाज स्पष्ट रूप से सुनी जाए। हालाँकि इस अधिनियम के लागू होने के तीन दशक से अधिक समय के बाद भी पंचायत की आवाज में दृढ़ता की कमी है। टिप्पणी कीजिये। (250 शब्द) 15

"The voice of the Panchayat is the voice of the people" and the 73rd constitutional amendment act was a step in the right direction to ensure that the voices of the people are heard loud and clear. However, even after more than three decades of the enforcement of this act, panchayat's voice lacks strength. Comment. (250 words) 15

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये। (Candidate must not write on this margin)

गाँधी के 'ग्राम स्वराज' (जन स्वराज) के स्वप्न को पूरा करने की दिशा में 73वें संवि. (संशो.) द्वारा भाग IX के तहत पंचायतों का गठन हुआ।

यह सरकार के विकेंद्रीकरण के साथ जनता की शासन-प्रणाली एवं नीति-निर्माण में प्रत्यक्ष भागीदारी को सुनिश्चित करता है।

अधिनियम की समीक्षा (तीन दशक बाद)-

उपलब्धियाँ-

→ आम लोग शासन प्रणाली से जुड़े

→ अनुसूचित क्षेत्रों में भी पंचायतों का विस्तार (1996, PESA).

Copyright – Drishti The Vision Foundation

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये। (Candidate must not write on this margin)

→ महिलाओं (अनु. 243D) की भागीदारी में वृद्धि (46% महिलाएँ पंचायतों (प्रतिनिधियों में))

↓

महिलाओं का राजनैतिक सशक्तिकरण

→ जन वितरण प्रणाली (PDS); सर्व शिक्षा अभियान, स्वच्छ भारत मिशन; ग्रामीण विकास, पंचायत, सड़क निर्माण, पेंशन आदि की पंचायतों के द्वारा बेहतर क्रियान्वयन

→ मनरेगा द्वारा रोजगार सृजन एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम

पंचायत की आवाज में दृढ़ता की कमी-

① शक्तियों / विषयों का स्थानांतरण-

अनुसूची-IX में उल्लिखित 18 विषयों में अधिकांश की राज्यों द्वारा पंचायतों को हस्तांतरित नहीं की गई।

② वित्त के नगण्य स्रोत-

अनुदान हेतु केंद्र (अनु. 280 वित्त आयोग)

Copyright – Drishti The Vision Foundation

राज्य (अनु 243I राज्य वित्त आयोग) एवं स्वत: के कुछ राजस्व (अनु 243G) पर निर्भरता।

3). महिलाओं के सरपंच बनने के बावजूद 'प्रधानपति' का प्रचलन

4). प्रधानों के प्रशासनिक अनभिज्ञता का फायदा सचिव (VDO) आदि द्वारा उठाना

5) व्याप्त भ्रष्टाचार एवं मनरेगा गबन का मामला

6). दीनदयाल अंत्योदय – (राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन) के तहत स्वयं सहायता समूहों के निर्माण के बावजूद महिलाओं के आय के स्रोत नहीं।

हमें पंचायतों को अधिक शक्तियाँ एवं वित्तीय स्रोत प्रदान करके उन्हें नए भारत का 'ग्रोथ इंजन' बनाना होगा।

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये। (Candidate must not write on this margin)

www.drishtiias.com
Contact: 8750187501, 8448485517
Copyright – Drishti The Vision Foundation

13. वर्षों से चुनावों के आयोजन और परिणामों की उनकी निष्पक्षता के लिये सराहना की गई है, हालाँकि चुनावी प्रणाली में कुछ कमियाँ भी सामने आई हैं। इस संबंध में देश में चुनाव सुधारों की आवश्यकता पर चर्चा कीजिये। (250 शब्द) 15

While conduct and outcome of elections over the years have been appreciated for fairness, some shortcomings have also emerged in the electoral system. In this regard discuss the need for electoral reforms in the country. (250 words) 15

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये। (Candidate must not write on this margin)

भारतीय संविधान का अनुच्छेद-324 भारतीय निर्वाचन आयोग को देश में स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव आयोजित कराने हेतु चुनाव प्रक्रिया के पर्यवेक्षण, नियंत्रण एवं निर्देशन के ~~अधिक~~ लिए अधिदेशित किया है।

चुनाव प्रणाली की उपलब्धियाँ:-

→ प्रत्येक पाँच वर्ष के अन्तराल पर शांतिपूर्वक चुनाव ~~सम्पन्न~~ सम्पन्न कराना लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा

→ 17वीं लोकसभा तक सरकारों का क्रमागत जनादेशों के अधीन स्थापन

→ 'आदर्श आचार संहिता' द्वारा चुनाव प्रणाली को अधिक नैतिक बनाना

www.drishtiias.com
Contact: 8750187501, 8448485517
Copyright – Drishti The Vision Foundation

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये।
(Candidate must not write on this margin)

→ चुनाव में तकनीकी का प्रयोग जैसे- EVM, VVPAT.

→ NOTA का विकल्प प्रदान करना,

चुनाव प्रणाली में कमियाँ

- खर्चे का मुद्दा
  - पैसों का प्रभाव अधिक
- आदर्श आचार संहिता को विधिक दर्जा नहीं
- धनबल का चुनाव में प्रयोग
- किसी भी साधन से व्यक्तियों द्वारा चुनाव जीतने की कोशिश
- चुनाव बाण्ड का दुरुपयोग
- सोशल मीडिया का दुरुपयोग - प्रचार में
- बाहरी ताकत चुनाव को विभिन्न प्रभावित
- EVM पर लोगों का संदेह

चुनाव सुधारों की आवश्यकता -

एक देश - एक चुनाव प्रक्रिया -

- संसाधनों का अपव्यय कम हो,
- विकासात्मक कार्यों की निरंतरता हो,
- समय का सदुपयोग विकास, कल्याण में हो,

www.drishtiias.com
Contact: 8750187501, 8448485517
Copyright – Drishti The Vision Foundation

drishti | दृष्टि The Vision

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये।
(Candidate must not write on this margin)

- जन प्रतिनिधित्व अधिनियम में परिवर्तन -
  - भ्रष्टाचार के प्रावधान को और सुदृढ़ बनाया जाये जिससे स्वच्छ छवि के उम्मीदवार आयें, (भारत में 40% से अधिक अपराधिक छवि वाले)
- आदर्श आचार संहिता - के अनुपालन हेतु निर्वाचन आयोग को शक्तिशाली बनाया जाये,
- निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति - मुख्य निर्वाचन आयुक्त के समान हो एवं नियुक्ति के लिए एक कमेटी बनाई जाये,
- चुनावी भ्रष्टाचार रोकने हेतु ग्रामवासियों को जागरूक बनाया जाये एवं कड़ी निगरानी
- चुनावी अपराधों के निवारण हेतु फास्ट ट्रैक कोर्ट

एक स्वच्छ निर्वाचन लोकतंत्र को अधिक मजबूत करने के साथ नीतिगत स्वच्छता एवं समग्र समावेशी विकास को बढ़ाता है।

www.drishtiias.com
Contact: 8750187501, 8448485517
Copyright – Drishti The Vision Foundation

14. 'नेबरहुड फर्स्ट' नीति का रणनीतिक महत्त्व व्यापक क्षेत्र में विकास को आकार देने की भारत की क्षमता का एक महत्त्वपूर्ण कारक बना रहेगा। परीक्षण कीजिये। (250 शब्द) 15

The strategic significance of the neighborhood-first policy will remain a key factor in India's ability to shape developments in the wider region. Examine. (250 words) 15

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये। (Candidate must not write on this margin)

'नेबरहुड फर्स्ट' नीति भारत की विदेश नीति का एक घटक है जिसके तहत विदेशी राष्ट्रों के साथ सहयोग, समन्वय, सहायता, सम्बन्ध निर्माण में पड़ोसी देशों को वरीयता दी जाती है।

'नेबरहुड फर्स्ट' नीति का रणनीतिक महत्त्व ~~भारत~~ विकास को देने में भारत की क्षमता के कारक के रूप में:-

1- दक्षिण एशिया को एकजुट करना - भारतीय उपमहाद्वीप के राष्ट्रों को एक साथ लाने में सहायक एवं उपलब्ध संसाधनों का दोहन करना।

www.drishtiias.com
Contact: 8750187501, 8448485517
Copyright – Drishti The Vision Foundation

2. क्षेत्रीय ताकत के रूप में उभरना - हालिया 'बिम्सटेक चार्टर' इसे क्षेत्र की एक क्षेत्रीय संगठन के रूप में प्रदर्शित करता है।

3. खुला, स्वतंत्र एवं समावेशी हिन्द महासागर क्षेत्र - पड़ोसियों के साथ भारत का सहयोग इस क्षेत्र में भारत को 'नेट सुरक्षा प्रदाता' के रूप में उभारेगा।

4). चीन को प्रति संतुलित करने में - म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका में चीन की भागीदारी को काउंटर करने में

5). ऊर्जा सुरक्षा - अन्तर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के तहत 'एक सूर्य - एक विश्व - एक ग्रिड' की संकल्पना को सिद्ध करने एवं भारत की ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करना

6). पूर्वोत्तर का विकास एवं शांति - बांग्लादेश एवं

www.drishtiias.com
Contact: 8750187501, 8448485517
Copyright – Drishti The Vision Foundation

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये। (Candidate must not write on this margin)

म्यांमार के साथ बेहतर संबंध इस क्षेत्र में शांति के साथ कूटनीति को ग्रोथ का इंजन बनाएंगे।

7). जल सुरक्षा - सीमावर्ती नदियों का बेहतर सहयोग

8). ड्रग तस्करी (गोल्डन क्रीसेंट, गोल्डन ट्राइंगल) एवं आतंकवाद से लड़ने में एकजुटता

9) - परिवहन आवागमन गलियारा द्वारा अर्थव्यवस्था को प्रगति देना जैसे - BBIN, कलादान प्रोजेक्ट आदि

10: संसाधनों का अधिकाधिक स्थानीय दोहन

इस प्रकार पड़ोस प्रथम नीति भारत के बहुआयामी हितों को साधती है।

www.drishtiias.com
Contact: 8750187501, 8448485517
Copyright – Drishti The Vision Foundation

15. भारत के राष्ट्रपति की संवैधानिक स्थिति पर चर्चा कीजिये और भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया की व्याख्या कीजिये। (250 शब्द) 15

Discuss the constitutional position and explain the process of election of the President of India. (250 words) 15

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये। (Candidate must not write on this margin)

राष्ट्रपति सरकार का संवैधानिक प्रमुख होता है। यह संसद का अभिन्न अंग होता है एवं भारत का प्रथम नागरिक के साथ तीनों सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर होता है।

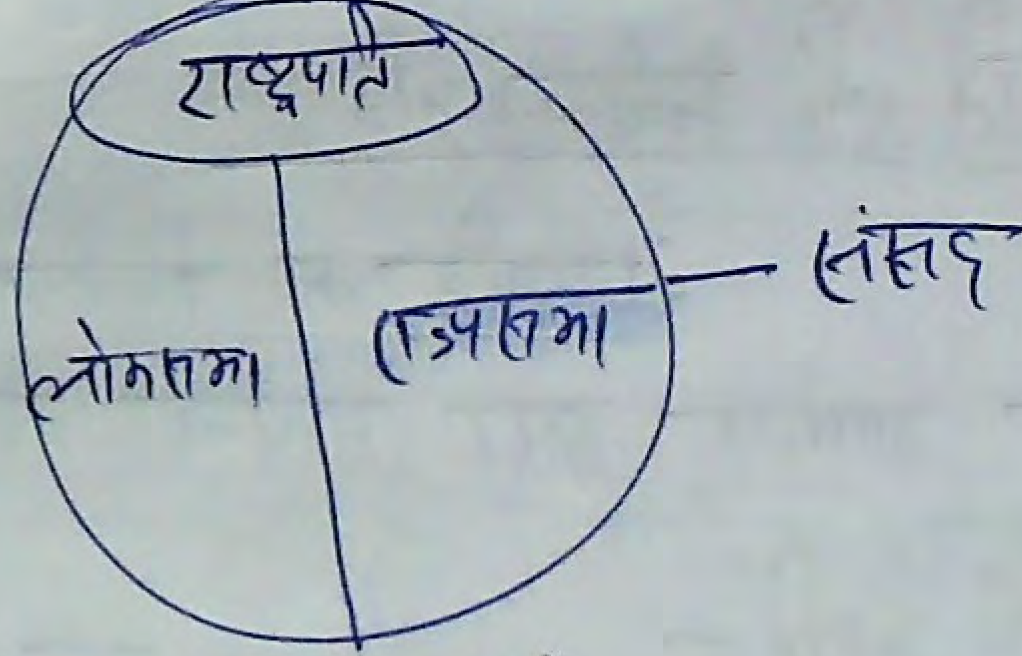

राष्ट्रपति की संवैधानिक स्थिति-

कार्यपालिका का सर्वोच्च - यह प्रधानमंत्री एवं मंत्रिपरिषद की नियुक्ति करता है एवं सभी के बारे में जानकारी प्राप्त करता है। (अनु-75)

विधायी कार्य - राष्ट्रपति ~~संसद को~~

www.drishtiias.com
Contact: 8750187501, 8448485517
Copyright – Drishti The Vision Foundation

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये। (Candidate must not write on this margin)

संसद द्वारा पारित विधेयकों को स्वीकृति देता है जिसके पश्चात ही वह अधिनियम बनते हैं।

कार्यकारी कार्य एवं नियुक्ति -
भारत के मुख्य न्यायाधीश, CAG, UPSC अध्यक्ष आदि की नियुक्ति,

न्यायिक कार्य - अनुच्छेद-72 के तहत क्षमादान की शक्ति का प्रयोग

राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रक्रिया -
राष्ट्रपति का निर्वाचन भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा सम्पन्न कराया जाता है।

मतदान की प्रकृति -
एक संक्रमणीय मत प्रणाली द्वारा गुप्त निर्वाचन; समानुपातिक निर्वाचन पद्धति,

निर्वाचक मंडल -
→ लोकसभा के निर्वाचित सदस्य
→ सभी राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य
→ केन्द्रशासित प्रदेशों के (विधायिका वाले) निर्वाचित सदस्य

Copyright – Drishti The Vision Foundation

drishti | दृष्टि The Vision

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये। (Candidate must not write on this margin)

मत का मूल्य - विधायकों के मतों का मूल्य राज्य की जनसंख्या में MLA सीटों के भाग देने पर।

सांसदों का मूल्य - MLA के मत का मूल्य के अनुपात

पीठासीन अधिकारी -
- सम्बन्धित सदन के महासचिव
भारतीय निर्वाचन आयोग की अध्यक्षता, नियंत्रण, निगरानी में निर्वाचन सम्पन्न होता है।

हालिया निर्वाचित राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू भारत की प्रथम आदिवासी महिला राष्ट्रपति हैं। यह समावेशी भारत की तस्वीर का परिचायक है।

www.drishtiias.com
Contact: 8750187501, 8448485517
Copyright – Drishti The Vision Foundation

16. सीमा पार जल विवाद भारत और उसके पड़ोसी देशों के बीच हमेशा से विवाद का एक विषय रहा है। भारत में सीमा पार नदी प्रबंधन से संबद्ध मुद्दों की चर्चा कीजिये। (250 शब्द) 15

Transboundary water disputes have always been a bone of contention between India and its neighboring countries. Discuss the issues associated with Transboundary River management in India. (250 words) 15

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये। (Candidate must not write on this margin)

भारत अपने 7 पड़ोसी देशों के साथ स्थलीय सीमा साझा करता है। हिमालय 'एशिया का जल स्तम्भ' के रूप में अधिकांश देशों की जल आवश्यकता का स्रोत है। पारराष्ट्रीय नदियां देशों के मध्य तनाव का कारण बनती हैं।

www.drishtiias.com
Contact: 8750187501, 8448485517
Copyright – Drishti The Vision Foundation

drishti | दृष्टि The Vision

सीमा पार जल-विवाद -

	नदी	संधि
भारत- पाकिस्तान	- सिंधु, झेलम, चेनाब, रावी, व्यास, सतलज	सिंधु जल संधि 1960
भारत- नेपाल	काली नदी, शारदा	काली नदी संधि
भारत- चीन	ब्रह्मपुत्र नदी	समझौते → सूचना प्रदान करना
भारत- बांग्लादेश	फरक्का / तीस्ता	फरक्का संधि

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये। (Candidate must not write on this margin)

सीमा पार नदी प्रबंधन के मुद्दे-

1- जल संबंधी आंकड़ा साझा करना - प्रायः राष्ट्रों के मध्य वास्तविक एवं सही आंकड़ों के प्रदायगी का अभाव
↓
कृषि जीवन पर प्रभाव, बाढ़ नियंत्रण प्रणालियों में परेशानी

2. बाँध निर्माण - नदियों पर बाँध बनाकर जल रोकना।
• चीन द्वारा ब्रह्मपुत्र पर बनाये जा रहे तीन वृहत् बाँध भारत के लिए अनिवार्य

www.drishtiias.com
Contact: 8750187501, 8448485517
Copyright – Drishti The Vision Foundation

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये। (Candidate must not write on this margin)

में चुनौती पेश कर सकते हैं।

• पूर्वोत्तर में आती बाढ़ के कारण

3. वैश्विक तापमान से हिमालयी हिम पिघलन - शुरू में बाढ़ एवं बाद में जल संकट से तनाव उत्पन्न होंगे,

4) बाँधों का निर्माण होना

5). कम बारिश, सूखा आदि के कारण देशों द्वारा एक-दूसरे पर पानी न देने का आरोप

जैसे - बांग्लादेश द्वारा भारत पर पानी का लेना

6). ऊर्जा सुरक्षा हेतु जल विद्युत परियोजना - किशनगंगा परियोजना पर पाकिस्तान विरोध जताता है

प्राकृतिक संसाधनों के कुशल बंटवारे हेतु वास्तविक सहयोग एवं समन्वय की सख्त जरूरत है।

---

www.drishtiias.com
Contact: 8750187501, 8448485517
Copyright – Drishti The Vision Foundation

drishti | दृष्टि The Vision

17. संघर्षी संघवाद उस संविधान के लिये अभिशाप है जो केंद्र और राज्यों के बीच सहयोग और सहकारिता की इच्छा रखता है। चर्चा कीजिये। (250 शब्द) 15

Combative federalism is anathema to the Constitution which prescribes cooperation and collaboration between the Centre and the States. Discuss. (250 words) 15

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये। (Candidate must not write on this margin)

ग्रेनविल ऑस्टिन - 'भारत एक सहकारी संघवाद का बेहतरीन उदाहरण है।'

अनुच्छेद-1 में भारत को 'राज्यों का संघ' कहा गया है। जिसका मतलब भारत 'विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ' है।

संघर्षी संघवाद - संघर्षी संघवाद से तात्पर्य ~~के लिए~~ वास्तव राज्यों एवं केंद्र के बीच होने वाले टकराव को लेकर है। जिसमें विभिन्न वित्तीय, विधायी आदि हितों को लेकर तनाव होता है।

संघर्षी संघवाद संविधान के लिए अभिशाप के रूप में -

→ केंद्र की नीतियों का राज्यों द्वारा अनुपालन न किया जाना, जैसे- CBI के लिए 'सामान्य सहमति'

www.drishtiias.com
Contact: 8750187501, 8448485517
Copyright – Drishti The Vision Foundation

से 11 राज्यों ने पीछे हो लिया है।

विलीय आवंटन में असमानता - राज्यों की वित्त के लिए अधिकांशतः केंद्र पर निर्भरता प्रायः केंद्र से विपरीत राजनैतिक दलवाले राज्यों की समस्या रहती है।

राज्यपाल का मुद्दा - दिल्ली उपराज्यपाल एवं मुख्यमंत्री, बंगाल में गवर्नर vs CM के बीच तनाव

अखिल भारतीय सेवाएँ - बंगाल के मुख्य सचिव को केंद्र द्वारा प्रतिशोध के कारण वापस बुलाना,

GST बंटवारे का मुद्दा

इस प्रकार के तनाव यदि उग्र रूप लेलें तो यह सहयोगात्मक संघवाद को कमजोर करता है।

हाल में विपक्षी नेताओं ने केंद्र पर प्रवर्तन एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप लगाया है।

भारत में फिर भी मैक्सिको की तरह कठोर बंटवारा नहीं है यहाँ सहयोगात्मक परिपाटी है।

सहकारिता विभाग; केंद्रीय वित्त आयोग, GST परिषद, अन्तर्राज्यीय परिषद आदि केंद्र-राज्य सहयोग को मजबूत करते हैं।

सरकारिया आयोग ने केवल महत्वपूर्ण विषयों को छोड़कर (संचार, रक्षा, विदेश) अन्य को राज्यों को स्थानांतरित करने की सिफारिश की है।

राज्यपाल की नियुक्ति में पुंछी आयोग का पालन करना चाहिए।

AFSPA प्रभावित राज्यों में केंद्र के प्रति तनाव को मजबूत करता है।

Copyright – Drishti The Vision Foundation

Copyright – Drishti The Vision Foundation

18. देश में कारागार प्रशासन के समक्ष विद्यमान संकटकारी मुद्दों पर चिंतन करने की आवश्यकता है। परीक्षण कीजिये। (250 शब्द) 15

There is a need to reflect upon the issues plaguing the prison administration in the country. Examine. (250 words) 15

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये। (Candidate must not write on this margin)

भारत में जेलों में 75% से अधिक कैदी विचाराधीन हैं। (NCRB)

केरल में पिता-पुत्र की हिरासत में मृत्यु ने कारागार प्रशासन के मुद्दे को फिर एकबार उभारा है।

भारत में कारागार प्रशासन -

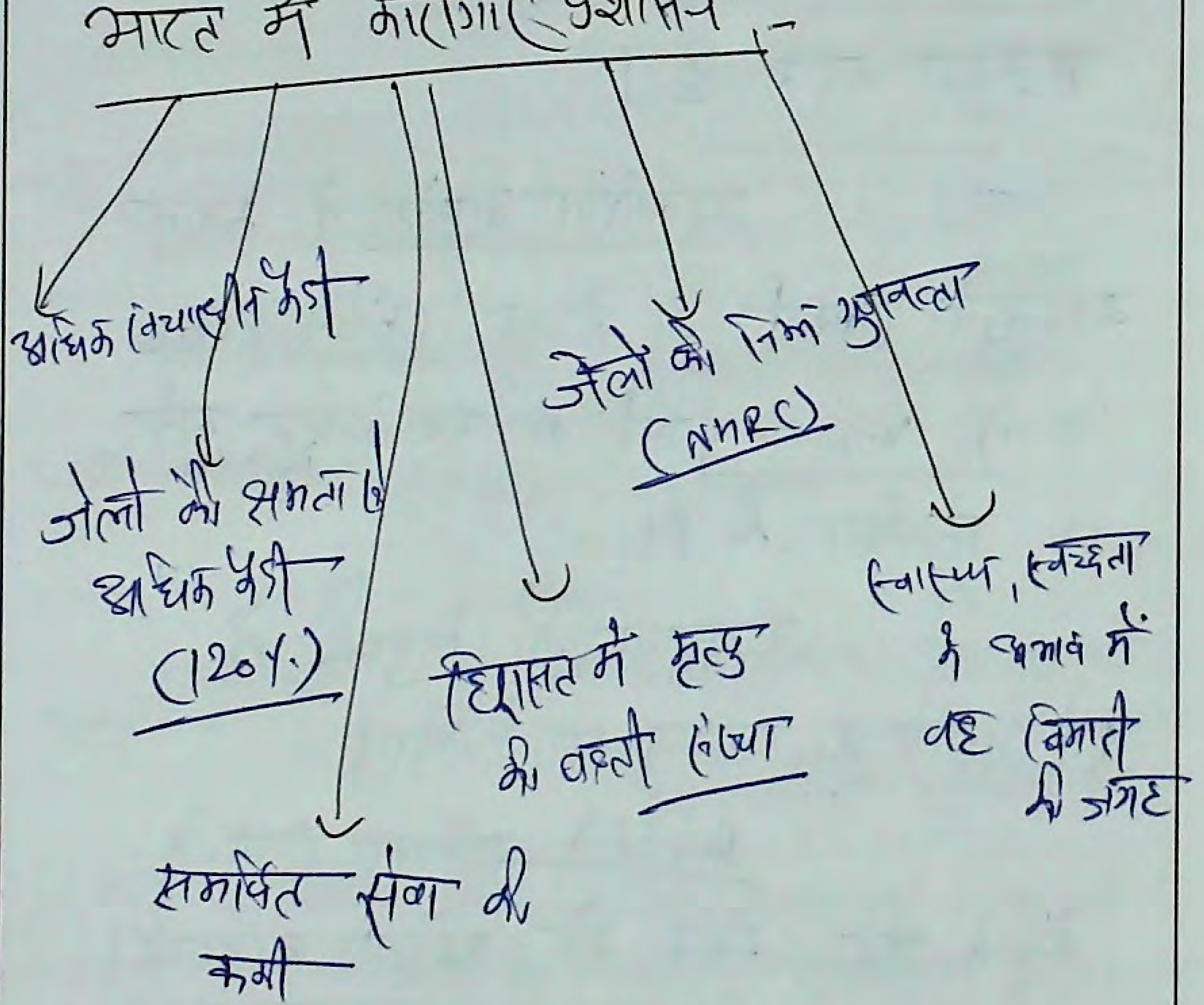

www.drishtiias.com
Contact: 8750187501, 8448485517
Copyright – Drishti The Vision Foundation

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये। (Candidate must not write on this margin)

कारागार प्रशासन के समक्ष संकटकारी मुद्दे -

- समर्पित सेवा बल के अभाव में इनका प्रशासन पुलिस मशीनरी के अधीन, जिससे यहाँ स्थितियाँ भयावह,
- राज्यों द्वारा कारागार प्रशासन निम्न प्राथ. अपेक्षित रहा है जिससे बजट की कमी
- स्वास्थ्य, अवसंरचना में निम्नस्तरीय व्यवस्था ⇓ कैदियों के बीमार होने की संभावना
- बेहतर निगरानी न होने के कारण जेलो के अन्दर से कैदियों का गैंग चलता है एवं हत्या गतिविधियाँ जैसे - पंजाबी गायक 'सिद्धू मूसेवाला' की हत्या;
- पुलिस अधिकारियों पर जवाबदेही का अभाव - एवं सुधार के अभाव में जेलों में -

www.drishtiias.com
Contact: 8750187501, 8448485517
Copyright – Drishti The Vision Foundation

शारीरिक शोषण, बलात्कार, मानसिक उत्पीड़न की घटनाएँ; हिरासत में हत्या के मामलों में पुलिस अधिकारियों की दोषसिद्धि (10%) असफल है।

उपाय — → मुल्ला समिति ने 'मॉडल भारतीय कारागार सेवा' के निर्माण की सिफारिश की है

→ जेलों में योग, मनोवैज्ञानिक काउंसलिंग को बढ़ावा

→ जैमर (लगभग सभी जेलों में) लगाया जाये

→ CCTV कैमरों से निगरानी ताकि पुलिस उत्पीड़न न हो।

→ न्यायालयों द्वारा मामलों की सुनवाई तीव्र की जाये ताकि विचाराधीन कैदी से जेलें खाली हों।

जीवन की स्वतंत्रता का अधिकार (अनु० 21) मूल अधिकार है जिसकी रक्षा सरकार की विधिक जिम्मेदारी है।

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये। (Candidate must not write on this margin)

www.drishtiias.com
Contact: 8750187501, 8448485517
Copyright – Drishti The Vision Foundation

19. शंघाई सहयोग संगठन (SCO) के संगठनात्मक ढाँचे की व्याख्या कीजिये और चर्चा करिये कि SCO की सदस्यता भारत के लिये कैसे प्रासंगिक है? (250 शब्द) 15

Explain the organizational structure of Shanghai Cooperation Organization (SCO) and discuss how SCO's membership is relevant to India? (250 words) 15

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये। (Candidate must not write on this margin)

शंघाई सहयोग संगठन 8 एशियाई देशों का समूह है। जिसका उद्देश्य राष्ट्रों के मध्य सहयोग को बढ़ाना एवं आतंकवाद, तस्करी आदि के विरुद्ध लड़ना है।

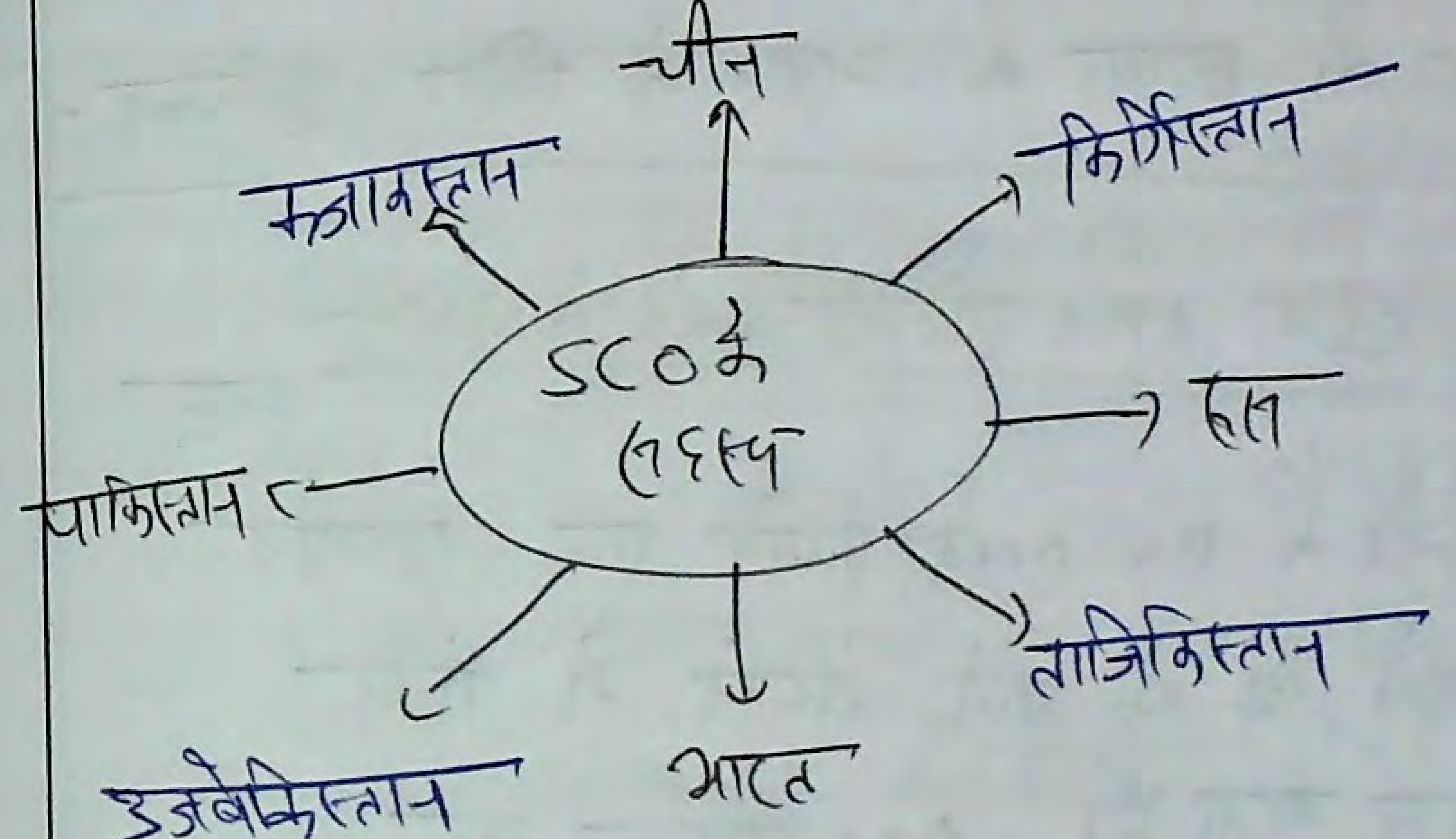

शंघाई सहयोग संगठन का संरचनात्मक ढांचा —

① SCO का मुख्यालय बीजिंग में है। इसका कार्य राष्ट्रों के मध्य व्यापारिक, सुरक्षा सहयोग को बढ़ाना है। यह राष्ट्रों को तकनीकी, विज्ञान आदि क्षेत्रों में सहयोग

www.drishtiias.com
Contact: 8750187501, 8448485517
Copyright – Drishti The Vision Foundation

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये। (Candidate must not write on this margin)

प्रदान करता है।

①. क्षेत्रीय आतंकरोधी एजेंसी (RATS) - यह क्षेत्र में आतंकवाद, तस्करी, ड्रग तस्करी, धनशोधन, आदि को रोकने का प्रयास करता है। इसका मुख्यालय - ताशकंद में है।

SCO की सदस्यता की भारत के लिए प्रासंगिकता -

①. मध्य एशियाई देशों से जुड़ाव - यह इन देशों के साथ सम्पर्क साधने एवं द्विपक्षीय संबंधों को को आगे बढ़ाने में मंच प्रदान करता है। मध्य एशिया का भारत के यूरोप तक पहुँच, INSTC गलियारा, यूरेनियम (कजाकिस्तान) एवं पाकिस्तान पर दबाव बनाने के महत्वपूर्ण संभावित लाभ है।

www.drishtiias.com
Contact: 8750187501, 8448485517
Copyright – Drishti The Vision Foundation

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये। (Candidate must not write on this margin)

②. क्षेत्रीय सहयोग एवं सुरक्षा - यह आतंकवाद, धन शोधन जैसी चुनौतियों में लाभ करता है।

③. एशिया की बड़ी आबादी एवं GDP का भाग शामिल - जिससे पश्चिमी राष्ट्रों पर भारत के संतुलन में नीति निर्माण का लाभ भारत को मिलेगा,

④ - चीन की बढ़ती ताकत एवं विस्तारवादी नीति को साधने में - अधिकांश SCO राष्ट्रों का चीन के साथ सीमा सम्पर्क है। अतः यह इन मुद्दों पर भारत को सहयोग करेंगे।

SCO के साथ I2U2; BRICS के साथ G-20; QUAD के साथ RIC वर्तमान समय में भारत के लिए रणनीतिक संतुलन की माँग करते हैं।

www.drishtiias.com
Contact: 8750187501, 8448485517
Copyright – Drishti The Vision Foundation

20. न्यायपालिका पर वादों/मामलों के भार को कम करने के लिये ट्रिब्यूनल्स की स्थापना की गई है, लेकिन इसने न्याय प्रणाली में कई चुनौतियों को जन्म दिया है। समालोचनात्मक चर्चा कीजिये। (250 शब्द) 15

Tribunals are established to reduce the case load of the judiciary but it has given rise to multiple challenges in justice system. Critically discuss. (250 words) 15

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये। (Candidate must not write on this margin)

त्वरित, वहनीय एवं विशेषज्ञतापूर्ण न्याय सुलभ कराने हेतु भारत संविधान के अनु- 323A & 323B में न्यायाधिकरण की व्यवस्था की गई है।

यह अर्द्धन्यायिक निकाय होते हैं जो त्वरित निर्णयों द्वारा न्याय उपलब्ध कराते हैं। सभी निर्णय सम्बन्धित पक्षों पर बाध्यकारी होता है।

न्यायाधिकरण के लाभ/उद्देश्य -

① वादों की संख्या कम करना - NJDG के अनुसार भारत में वर्तमान में लगभग 4 Cr मामले लंबित हैं। (SC-60K, HC-50L, अधीनस्थ न्यायालय-3.40 Cr)

www.drishtiias.com
Contact: 8750187501, 8448485517
Copyright – Drishti The Vision Foundation

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये। (Candidate must not write on this margin)

② तीव्र एवं वहनीय न्याय - यह CPC और कानूनों से बंधे नहीं होते। प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत का पालन करते हैं।

3). विशेषज्ञतापूर्ण न्याय - प्रौद्योगिकीय, IBR, पर्यावरण आदि मामलों पर अधिक सटीक निर्णय

4). विकास गतिविधियों को बढ़ावा - उद्योगों, कम्पनियों आदि के मामले सुलझाकर विकास को गति

इससे न्याय प्रणाली में नई चुनौतियाँ आई हैं -

① शक्ति का बंटवारा - जो मूल ढाँचे का भाग है। पिछले रिटायर्ड 91 SC जजों में से 70 से अधिक न्यायाधिकरण में शामिल हुए। (विधिक सेंटर)

② निर्णयों के विरुद्ध अपील - अपीलों की संख्या बढ़ने से अतः मामलों का भार यथावत,

www.drishtiias.com
Contact: 8750187501, 8448485517
Copyright – Drishti The Vision Foundation

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये।
(Candidate must not write on this margin)

3. हालिया पारित ट्रिब्यूनल्स सुधार अधिनियम में कार्यकाल 4वर्ष/67वर्ष/70वर्ष के पर सुप्रीम कोर्ट ने चिंता जताई है।

• नियुक्ति हेतु चयन समिति में कार्यकारी अधिकारी का शामिल होना
⇓
नियुक्ति में स्वतंत्रता का अभाव।

4). अधिकरणों में भारी ~~रिक्ति~~, रिक्त पद

5). लोगों का न्याय प्रभावित – अधिकरणों के विलय होने एवं नियुक्ति न होने से लंबित मामले उच्च न्यायालय जा नहीं सकते ⇒ जिससे हितधारकों का न्याय प्रभावित हुआ है।

न्यायाधिकरणों में नियुक्ति को भरते; नियुक्ति में पारदर्शिता सहित इनकी दक्षता को बढ़ाना चाहिए।

Copyright – Drishti The Vision Foundation

Space for Rough Work
(रफ कार्य के लिये स्थान)

Copyright – Drishti The Vision Foundation

Space for Rough Work

(रफ कार्य के लिये स्थान)

www.drishtiias.com
Contact: 8750187501, 8448485517
Copyright – Drishti The Vision Foundation

Space for Rough Work

(रफ कार्य के लिये स्थान)

www.drishtiias.com
Contact: 8750187501, 8448485517
Copyright – Drishti The Vision Foundation